भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–106 / 2018–19

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
31.12.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जांच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय–बिक्रय / भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" / "बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की ज़ाती है। 31.12.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
13.03.2019	अभिलेख उपस्थापित। विज्ञ अधिवक्ता श्री अमित कुमार द्वारा दिनांक–13.03.2019 को आवेदन दिया गया है कि अंचल अधिकारी, गोईलकेरा द्वारा T.A Misc Case No. 106/2018-19 का जॉच प्रतिवेदन न्यायालय को विलम्ब से भेजे जाने के कारण वाद की कार्रवाई स्थगित हो गया है। क्रेता एवं बिक्रेता वर्त्तमान में उक्त वाद में वर्णित भूमि क्रय बिक्रय हेतु सहमत हैं। अधिवक्ता श्री अमित कुमार द्वारा उक्त अभिलेख को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है। श्री अमित कुमार अधिवक्ता द्वारा हुए दिये गए आवेदन के आलोक में अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अन्तरण हेतु स्वीकृति दी जाती है। **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, **गोईलकेरा** के पत्रांक–64, दिनांक–05.03.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.03.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **गोईलकेरा** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक / आवेदिका **श्री रेजन जामुदा**, पिता / पति– **स्व0 विलियम जामुदा**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **बेडाहुन्डरू**, पो0+थाना– **गोईलकेरा**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– **गोईलकेरा क्रिस्तान टोली**, थाना– **गोईलकेरा**, थाना नं0– **530**, खाता नं०– **51**, प्लॉट नं0– **405**, रकवा– **0.05 ए0**, क्रेता **चांदु अंगरिया**, पिता / पति– **चोकरो अंगरिया**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **बोरोई**, पो0– **टुनिया**, थाना– **गोईलकेरा**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक / आवेदिका **श्री रेजन जामुदा**, पिता / पति– **स्व0 विलियम जामुदा**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **बेडाहुन्डरू**, पो0+थाना– **गोईलकेरा**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **गोईलकेरा**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति– **हो (अ.ज.जा.)** समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को **गोईलकेरा** अंचल अंतर्गत रकवा– **3.33 ए0** अवशेष भूमि बचता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, **गोईलकेरा** द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता **श्री रेजन जामुदा**, पिता / पति– **स्व0 विलियम जामुदा**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **बेडाहुन्डरू**, पो0+थाना– **गोईलकेरा**, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि **2,50,000 / – (दो लाख पचास हजार)** रूपये में बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर। 13.3.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर।	